उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग
संख्याः 2115/VII-2/99–एम.एस.एम.ई./2015
देहरादून, दिनांकः 30 अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः–184/VII–2–15/146–एम.एस.एम.ई./2013 दिनांक 31 जनवरी, 2015 से प्राख्यापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के प्रस्तर 6.7(iii) में स्वरोजगार को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन का प्राविधान किया गया है। नीति में उल्लिखित प्राविधानों के तहत श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार **''मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना–2015''** संचालित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

''मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना''

1. **योजना का नाम** : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–184/सात–2–15/146 एम.एस.एम.ई./2013 दिनांक 31 जनवरी, 2015 से प्राख्यापित नई एम.एस.एम.ई. नीति–2015 में स्वीकृत यह योजना **''मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना''** कहलायेगी।

2. **योजना का उद्देश्य** : योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों को सेवा, व्यवसाय तथा उद्यम की स्थापना हेतु प्रेरित करना है। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैंः–
   - (i) स्वतः रोजगार हेतु नये सेवा, व्यवसाय तथा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।
   - (ii) बिखरे हुए पारम्परिक शिल्पियों (आर्टीजन) तथा शहरी व ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों को एक साथ लाकर, यथासम्भव उनके आवासीय स्थल के पास रोजगार के अवसर सुलभ कराना।
   - (iii) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से नवयुवकों के पलायन को रोकना।
   - (iv) दस्तकारों की मजदूरी कमाने की क्षमता में अभिवृद्धि कर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास दर में वृद्धि।

योजनान्तर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता अनुदान स्वरूप दी जायेगी। योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड प्रदेश होगा। योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड प्रदेश होगा। योजना के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, भारत सरकार द्वारा नकारात्मक सूची में चिन्हित गतिविधियों को भी वित्तपोषित किया जा सकेगा।

3. **पात्रता** : योजना के अन्तर्गत सेवा/व्यवसाय तथा उद्योग स्थापना हेतु नयी परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी। पूर्व स्थापित उद्योगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

4. **योजना का क्रियान्वयन (Implementing Agency)** : योजना के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग नोडल विभाग होगा। योजना का क्रियान्वयन उद्योग निदेशालय तथा उसके अधीन जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा।

5. **पात्र गतिविधियां** :
   - (क) ऐसी सभी प्रकार के व्यवसाय एवं सेवा गतिविधियां, जिनकी कुल परियोजना लागत ₹ 3.00 लाख से अधिक की न हो।
   - (ख) ऐसे सभी सूक्ष्म विनिर्माणक उद्यम, जिनकी कुल परियोजना लागत ₹ 5.00 लाख से अधिक की न हो।

6. **पात्रता** :
   - (क) उत्तराखण्ड का निवासी हो।
   - (ख) पांचवी कक्षा उत्तीर्ण हो।
   - (ग) आवेदन के दिनांक को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक की हो।
   - (घ) योजनान्तर्गत कोई भी व्यक्ति (बेरोजगार/आर्टीजन/उद्यमी), संस्था, सहकारी समिति तथा स्वयं सहायता समूह किसी उद्यम/सेवा गतिविधि/व्यवसाय के लिए ऋण ले सकते हैं।
   - (ङ) आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता/अशोधी (defaulter) नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   - (च) यदि कोई व्यक्ति संस्था/समिति/स्वयं सहायता समूह रोजगारपरक ऐसी किसी अन्य सरकारी योजना के अन्तर्गत पूर्व से सहायता प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
   - (छ) योजनान्तर्गत सहायता के लिए व्यक्ति, सिर्फ एक उद्योग/सेवा/

व्यवसाय हेतु ही पात्र होगा।

7. **ऋण की मात्रा एवं मार्जिन मनी सहायता (अनुदान सहायता)**

(क) कुल अनुमोदित परियोजना लागत के सापेक्ष सामान्य वर्ग के उद्यमी/अभ्यर्थी को परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तथा विशेष वर्ग के लिए 95 प्रतिशत ऋण राशि स्वीकृत कर भुगतान की जायेगी। परियोजना लागत में भूमि की कीमत शामिल नहीं होगी।

(ख) योजनान्तर्गत मार्जिन मनी सहायता/अनुदान, जो राज्य सरकार द्वारा देय होगी निम्न प्रकार हैः–

योजनान्तर्गत लाभार्थियों के वर्ग	**स्वयं का योगदान**	**सहायता दर**	
		शहरी क्षेत्र	**ग्रामीण क्षेत्र**
सामान्य वर्ग	10%	15%	25%
विशेष (अ.सू. जाति/अनु. जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ भू.पू. सैनिक/ शारीरिक विकलांग/ उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी)	5%	25%	35%

8. **आवेदन प्रक्रिया**

(क) आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेग, आवेदन–पत्र निःशुल्क रहेगा।

(ख) सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जायेंगे। अपूर्ण आवेदन पूर्ण करने हेतु जिला उद्योग केन्द्र आवेदक को ससमय सूचित करेगा।

(ग) आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तावित गतिविधि की प्रोजैक्ट रिपोर्ट (परियोजना प्रतिवेदन) संलग्न की जायेगी।

8. **अपेक्षित दस्तावेज** : परियोजना प्रतिवेदन, जन्मतिथि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, विशेष वर्ग से सम्बन्धित होने का प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र अथवा राशन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रतियां।

9. **लाभार्थियों का चयन** : मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्र निम्नानुसार गठित जिला कार्यदल (taskforce) समिति के समक्ष विचार/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगेः–

1. महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र। — अध्यक्ष।
2. जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक। — सदस्य।

3. तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक। सदस्य।
4. जिला सेवायोजन अधिकारी। सदस्य।
5. आई.टी.आई./पॉलिटैक्निक कॉलेज के प्रतिनिधि। सदस्य।
6. प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र। सदस्य सचिव।

10. टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित आवेदन पत्रों का निस्तारण

(क) अनुमोदन उपरान्त महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्बन्धित बैंकों को अनुशंसा के साथ प्रकरण अग्रेषित किये जायेंगे।

(ख) बैंक द्वारा 45 दिवस के अन्दर प्रकरण का निराकरण किया जायेगा। दिवसों की गणना बैंक में आवेदन–पत्र प्राप्त होने की तिथि से की जायेगी।

(ग) 45 दिवस में बैंक से प्रकरण के निराकरण सम्बन्धी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने पर, जिला स्तर पर गठित समीक्षा समिति के समक्ष लम्बित प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत की जायेगी।

11. जिला स्तरीय समीक्षा समिति

(क) योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति सतत समीक्षा करेगी। जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (DLRC) की बैठक के साथ आहूत की जा सकती है।

(ख) समिति लम्बित प्रकरणों, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं एवं अन्य विषय जो समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे, की समीक्षा करेगी।

(ग) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समीक्षा समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगेः

1. जिलाधिकारी। अध्यक्ष।
2. मुख्य विकास अधिकारी। सदस्य।
3. जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक। सदस्य।
4. तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि। सदस्य।
5. जिला सेवायोजन अधिकारी। सदस्य।
6. आई.टी.आई./पॉलिटैक्निक कॉलेज के प्रतिनिधि। सदस्य।
7. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र। सदस्य सचिव।

नोटः आवश्यक होने पर जिलाधिकारी किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे।

12. प्रशिक्षण

(क) योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृति के पश्चात् उद्यमी को 3 से 10 दिवस का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा।

(ख) उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षित हितग्राही को इस योजनान्तर्गत पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

13. आच्छादित बैंक/ वित्तीय संस्था :

(क) सभी सार्वजनिक बैंक

(ख) निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(ग) सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

(घ) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सहकारी बैंक/निजी वाणिज्यिक बैंक।

14. मार्जिन मनी सहायता का संवितरण : परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता, स्वीकृत परियोजना अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय द्वारा बैंक को उपलब्ध कराई जायेगी। परियोजना अनुसार ऋण वितरण के पश्चात् एवं इकाई स्थापना होने पर बैंक शाखा मार्जिन मनी की राशि ले पायेंगे। इस हेतु एक नोडल बैंक के राज्य स्तरीय मुख्यालय पर पूल एकाउन्ट (Pool Account) खोलकर राशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी। सभी अन्य बैंक योजनान्तर्गत राशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी प्रकरण महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से उद्योग निदेशालय को भेजकर प्राप्त कर सकेंगे। उद्योग निदेशालय प्राप्त प्रतिपूर्ति प्रकरणों के आधार पर मार्जिन मनी की राशि सम्बन्धित बैंक को अवमुक्त करने हेतु नामित नोडल बैंक को अपनी अनुशंसा भेजेंगे। नोडल शाखा से वित्त पोषक शाखा सरकारी सब्सिडी का अन्तरण योजना के प्रावधान अनुसार करेंगे। नोडल शाखा इसकी जानकारी प्रतिमॉह निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

वित्त पोषक बैंक प्राप्त मार्जिन मनी राशि पृथक से खाता खोलकर उसमें जमा करेंगे, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। मार्जिन मनी प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृत परियोजना में संवितरित मार्जिन मनी राशि पर बैंक कोई ब्याज चार्ज नहीं करेंगे। उद्यम/सेवा/व्यवसाय के संचालन की तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त वित्त पोषक बैंक मार्जिन मनी राशि का समायोजन कर सकते हैं।

15. **विविध** : **(क)** योजनान्तर्गत भागीदारी के प्रकरणों पर विचार किया जा सकता है, परन्तु भागीदारी एक ही परिवार के सदस्य के बीच मान्य नहीं होगी। समस्त भागीदारों द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों का पालन अनिवार्य होगा।

(ख) बैंक से आशय समस्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक तथा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से है, जो ऋण गारंटी निधि योजनान्तर्गत मान्य है।

(ग) गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर हितग्राही से समस्त राशि दाण्डिक ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

(घ) योजनान्तर्गत स्थापित उद्यम का निरीक्षण जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा। ऋण राशि का दुरूपयोग पाये जाने की स्थिति में भू–राजस्व बकाया की तरह वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक/संस्था/समिति/समूह द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ङ) जिला स्तरीय समीक्षा समिति से प्राप्त सन्दर्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति में विचार हेतु रखे जायेंगे।

(च) योजना की व्याख्या/संशोधन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सक्षम होगा।

(छ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के अन्तर्गत इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु एवम मध्यम उद्यम विभाग के बजट में प्राविधान किया जायेगा तथा निदेशालय द्वारा तद्नुसार ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सभी जनपदों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अ.शा. संख्याः–543/XXVII(2)/2015 दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

मनीषा पंवार
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2115/VII–2/99–एम.एस.एम.ई./2015, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश की प्रति समस्त जिला उद्योग केन्द्रों एवं प्रमुख औद्योगिक संगठनों को भी अपने स्तर से उपलब्ध करा दें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डा. आर. राजेश कुमार
अपर सचिव।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
(उद्यम/सेवा/व्यवसाय परियोजना की स्थापना हेतु)

1. आवेदक का पूरा नाम :

2. पिता/पति का नाम :

3. (क) निवास स्थान एवं पत्राचार का पूर्ण पता :

   (ख) दूरभाष/मोबाईल नम्बर :

   (ग) प्रस्तावित इकाई स्थल का पता :

   (घ) इकाई का दूरभाष/मोबाईल नम्बर :

4. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) :

5. तकनीकी योग्यता/अनुभव, जैसेः आइ.टी.आई./डिप्लोमा/ इंजीनियरिंग/ अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त मॉड्यूलर एम्प्लायबल स्किल्स (MES) प्रमाण–पत्र
   (यदि कोई हो, प्रमाण–पत्र संलग्न करें) :

6. (क) जन्म तिथि (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) :

   (ख) आवेदन दिनांक को उम्र : वर्ष............मॉह............दिन.............

7. (क) आवेदक की श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./महिला/भूतपूर्व सैनिक/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन) (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) :

   (ब) लिंग (पुरूष/महिला) :

8. (क) प्रस्तावित गतिविधि का नाम
   (परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें) :

(ब) परियोजना का प्रकार (विनिर्माण इकाई / सेवा इकाई / व्यवसाय) :

9. (अ) परियोजना लागत
   (i) भूमि / भवन (स्वयं / किराये पर) : ₹
   (ii) मशीन / उपकरण / साज–सज्जा : ₹
   (iii) कार्यशील पूंजी : ₹
   योग : ₹

(ब) प्रस्तावित वित्तीय प्रबन्ध
   (i) आवेदक की मार्जिन मनी (सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लिए 5 प्रतिशत) : ₹
   (ii) अपेक्षित टर्म लोन : ₹
   (iii) कार्यशील पूंजी हेतु ऋण : ₹
   योग : ₹

10. प्रस्तावित बैंक शाखा का नाम जहां हितग्राही अपना ऋण प्रमाण भेजना चाहता है : 1.
    2.

11. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) :

12. पूर्व में शासन की ऐसी किसी योजना का लाभ लिया हो अथवा लाभ प्राप्त किया जा रहा हो, तो उसका विवरण। :

13. अन्य कोई विवरण।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

<u>घोषणा</u>

मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण बिन्दु क्रमाक–1 से 13 तक सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

आवेदन–पत्र में संलग्न किये जाने वाले सहपत्रों की सूची

1. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन।
2. राशन कार्ड/स्थाई निवास प्रमाण–पत्र/मतदाता पहचान–पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड (कोई भी एक)
3. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।
4. जन्मतिथि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।
6. सक्षम प्राधिकारी जारी जाति सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो) ।
7. उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।
8. अन्य।

कार्यालय प्रयोगार्थ	
आवेदन–पत्र का क्रमांक	जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन–पत्र प्राप्ति का दिनांक

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
के अन्तर्गत
वित्तीय सहायता के लिए प्रार्थना–पत्र

वर्ष..

ग्रामीण		शहरी	

सेवा में,

महाप्रबन्धक,

जिला उद्योग केन्द्र,

....

....

स्वः सत्यापित फोटो

1. लाभार्थी का पूरा नाम एवं आधार नम्बर

2. जन्म तिथि

दिन		महीना		वर्ष			

3. लिंग

पुरूष		स्त्री	

4. पिता/पति का नाम/सम्पर्क व्यक्ति का नाम (संस्था के मामले में)

5. पत्र व्यवहार/स्थायी निवास का पता

मकान नं.										
गली नं.										
मौहल्ला/गांव/डा.										
तहसील एवं जिला										
फोन नं. एसटीडी कोड सहित										
मोबाइल नं.										

6. प्रस्तावित इकाई स्थल का पूर्ण पता

गांव / शहर									
डाकघर									
ब्लॉक				तहसील					
जिला				पिनकोड					

7. परियोजना मंजूरी के क्षेत्र में पसंद के बैंक का नाम एवं पूर्ण पता टेलीफोन नं. सहित

बैंक का नाम									
गांव / शहर									
जिला									
टेलीफोन नं.									

8. शैक्षिक / प्राविधिक योग्यता

(अ) शैक्षिक योग्यता	बोर्ड / विश्वविद्यालय	(ब) तकनीकी योग्यता	बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान
आठवीं पास			
हाईस्कूल			
इण्टरमीडिएट			
स्नातक			
स्नातकोत्तर			

9. क्या उद्यमिता विकास कार्यक्रम (न्यूनतम 3 से 10 दिवस) में भाग लिया है (निशान लगाएं) हां ☐ नहीं ☐

10. लाभार्थी किस श्रेणी से सम्बन्धित है (निशान लगाएं)

अनु. जाति	अ.ज. जाति	ओबीसी	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	अल्पसंख्यक	नगरीय / ग्रामीण क्षेत्र	सामान्य

11. परियोजना का प्रकार (निशान लगाएं)

उत्पादन / विनिर्माण इकाई ☐ सेवा / व्यवसाय ☐

12. प्रस्तावित उद्योग / सेवा / व्यवसाय का नाम

13. परियोजना के लिए अपेक्षित ऋण राशि (रू. में)

भवन स्वयं का/ किराये का	पूंजीगत व्यय ऋण					
	कार्यशाला/ भवन	मशीनरी एवं उपकरण	परिचालन पूर्व लागत	कार्यशील पूंजी/ नकद ऋण सीमा	योग	प्रस्तावित रोजगार

13. क्या आवेदक द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की योजना या समान प्रकार की किसी अन्य योजना में पहले से लिये गये ऋण/अनुदान दिया गया हैः हां/नहीं

मैं प्रमाणित करता हूं कि दी गई सभी सूचनाएं सत्य हैं, और यह कि मैंने और मेरे किसी आश्रित ने ऐसी कोई परियोजना स्थापित करने के लिए केन्द्र/किसी राज्य सरकार से या बैंक से सब्सिडी/सहबद्ध योजना के अन्तर्गत कोई राशि उधार नहीं ली है।

दिनांक–

स्थान– आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणीः–

1. निजी अंशदान के रूप में अजा./अजजा./अल्पसंख्यक/पिछडावर्ग भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/महिला/पर्वतीय क्षेत्र के लिए 5 प्रतिशत और सामान्य के लिए 10 प्रतिशत निवेश होगा।
2. कुल परियोजना लागत विनिर्माण/उत्पादक इकाई के लिए रू. 5 लाख एवं सेवा/व्यवसाय इकाई के लिए रू. 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. आवेदक को स्वयं के आंशदान के मामले में निर्धारित सीमा से अधिक अतिरिक्त मार्जिन राशि (सब्सिडी) पाने का अधिकार नहीं होगा।
4. आवेदन–पत्र सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिए और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।
5. अ.जा./अ.ज.जा./अपिव/शावि/पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के मामले में संगत प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए।
6. यदि उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण में भाग लिया हैं, तो प्रमाण–पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करें।

कार्यालय प्रयोग के लिए (निरस्त/जिला कार्यदल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएं)

कारणः (यदि अस्वीकार किया गया हो)

दिनांक– आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान– नाम और पदनाम

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत आवेदक द्वारा शपथ–पत्र
(आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाए और यह अनिवार्य है)

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत उद्योग/सेवा/व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय लाभार्थी द्वारा घोषणा की जानी है।

मैं.., पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती..
निवासी गांव...पोस्ट.............................ब्लॉक/तहसील..................................
जिला..राज्य......................................यह घोषणा करता/करती हूं किः

1. मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अधीन प्रोजैक्ट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से पहले विस्तार में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के दिशा निर्देशों तथा नियम एवं शर्तों, विशेष रूप से उद्योग/सेवा/व्यवसाय के स्वरूप, परियोजना में निवेश, स्वयं के योगदान आदि के बारे में निर्धारित मानदण्डों को पढ़ और समझ लिया है।
2. मैं समझ चुका/चुकी हूं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए राज्य स्तर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय नोडल एजेंसी है और यह योजना जनपद के जिला उद्योग केन्द्र (DIC) के माध्यम से कार्यान्वित की जायेगी।
3. मैं समझ चुका/चुकी हूं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अधीन ऋण के लिए आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाना है।
4. मैं समझ चुका/चुकी हूं कि मेरा आवेदन सूक्ष्म जांच (Scrutiny) तथा संक्षिप्त सूची बनाने (Shortlisting) के लिए जिला कार्य दल समिति (DTFC) को भेजा जाएगा। मैं यह भी जानता/जानती हूं कि चुने हुए आवेदकों को प्रस्तावित प्रोजैक्ट के विषय में उनकी जानकारी, योग्यता, रूचि, कौशल, एवं उद्यमशीलता क्षमता, बाजार उपलब्धता, चुकाने की क्षमता और प्रस्तावित प्रोजैक्ट को सफलतापूर्वक चलाने की क्षमता का आंकलन एवं परियोजना की स्वीकृति हेतु बैंक को केवल सराहनीय चुने हुए आवेदकों की सिफारिश करने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए प्रथम रूप में जिला कार्यदल समिति द्वारा एक साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।
5. मैं समझ चुका/चुकी हूं कि प्रोजैक्ट की व्यवहार्यता (Viability) पर आधारित प्रोजैक्ट को मंजूरी देने का निर्णय लेने का अंतिम अधिकार जिला कार्यदल समिति को है।
6. एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अधीन प्रोजैक्ट लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने योग्य है। 'परिवार' में स्वयं और पति या पत्नी शामिल हैं।

7. मैं पूरी तरह से जानता/जानती हूं कि मार्जिन मनी सरकार द्वारा "एक मुश्त सहायता" है। क्रेडिट सीमा में किसी भी वृद्धि या प्रोजैक्ट के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध नहीं है।

8. मैं शर्तों से सहमत हूं और मानता/मानती हूं कि एकबार ऋणी के पक्ष में मार्जिन मनी जारी हो जाता है, तो इसे लाभार्थी/संस्था के नाम से वित्त पोषक बैंक शाखा स्तर पर तीन वर्ष के सावधि जमा रसीद (TDR) में रखा जायेगा TDR पर कोई ब्याज देय नहीं होगा और TDR की समतुल्य ऋण पर कोई ब्याज चार्ज नहीं किया जायेगा।

9. मैं शर्तों से सहमत हूं और मानता/मानती हूं कि यद्यपि मार्जिन मनी बैंक के निर्दिष्ट नोडल ब्रांच द्वारा जारी होगी, फिर भी योजना के मापदण्डों पर आधारित दावे को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार योजना को प्रायोजित करने वाली नोडल एजेन्सी को है।

10. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत विचाराधीन प्रोजेक्ट के लिए किसी भी वित्तीय संस्था से कोई भी ऋण प्राप्त नहीं किया है और न ही किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार की प्रायोजित योजना से कोई अनुदान प्राप्त किया है।

11. यह भी प्रमाणित किया जता है कि आवेदन में दिए गए पते पर प्रस्तावित इकाई एक नयी इकाई है और मैं इस इकाई का एकमात्र स्वामी हूं।

12. मैं निर्धारित समय के अन्दर आवश्यक ईडीपी (EDP) प्रशिक्षण में भाग लेने की शर्त से सहमत हूं और मानता हूं।

13. मैं अपने/हमारे प्रोजैक्ट साइट के मुख्य प्रवेश द्वारा पर निम्नलिखित साइन–बोर्ड को प्रदर्शित करने हेतु सहमत हूं:–

....(इकाई का नाम)
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अधीन जिला उद्योग केन्द्र,..
द्वारा प्रायोजित ....(बैंक) द्वारा वित्त पोषित

14. मैं योजना दिशा–निर्देशों/मानकों इत्यादि के पूरा नहीं होने की स्थिति में मार्जिन मनी का हिस्सा/पूरी धनराशि वापस करने के लिए सहमत हूं।

15. मैं सहमत हूं कि यदि जिस किसी भी कारण से मार्जिन मनी का दावा करने हेतु इकाई अयोग्य पायी जाती है तो जिला उद्योग केन्द्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने या मेरे पक्ष में स्वीकृत मार्जिन मनी को वापस मंगाने का अंतिम अधिकार है और उस स्थिति में, मैं जिला उद्योग केन्द्र को मेरे प्रोजैक्ट पर प्राप्त पूरा/आंशिक मार्जिन मनी वापस करूंगा/करूगी।

16. मैं इकाई का भौतिक सत्यापन आयोजित करने के लिए प्राधिकृत जिला उद्योग केन्द्र, वित्त पोषक बैंक के अधिकारियों को अनुमति देने के लिए सहमत हूं और उन्हें मेरी इकाई के

विषय में भी जानकारी उपलब्ध कराउंगा/कराउंगी तथा बही खातों सहित आवश्यक दस्तावेज दिखाउंगा/दिखाउंगी।

17. मैं शर्तों से सहमत हूं और मानता/मानती हूं कि प्रोजैक्ट से सम्बन्धित किसी भी मामले पर जिला उद्योग केन्द्र के विरूद्ध कोई भी कानूनी सहारा लेने के लिए सिर्फ राज्य न्यायालयों के पास विशिष्ट क्षेत्राधिकार होगा।

18. यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी सभी जानकारी सही है और यदि कोई जानकारी गलत या भ्रामक होना पाया जाता है और सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने के गुप्त मकसद के साथ बनाया गया है, तो जिला उद्योग केन्द्र मुझ पर मुकदमा चलाने या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने, जैसा उपयुक्त समझा जाए, के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांकः...................................... (लाभार्थी के हस्ताक्षर)

स्थानः.. (नाम एवं पता)

1. निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र।
2. निवास का प्रमाण–पत्र राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड।
3. शपथ–पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित (उपरोक्तानुसार)।
4. किरायानामा अथवा यदि स्वयं का भवन है तो स्वामित्व अधिकार का प्रमाण–पत्र जैसे म्यूटेशन अथवा रजिस्ट्री की फोटो प्रति।
5. शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्र।
6. जाति प्रमाण–पत्र यदि लागू हो (छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होना आवश्यक है)।

Please Tick (✓) One of No. 1 and any one of Number 2

1	Male	Female

2	Gen	SC	ST	OBC	Minority	Ex-Serviceman	PH	HBA

...Bank
H.O./C.O. ....
(Application Form cum Receipt for claiming "Govt. Subsidy" from for MSME Department, Govt. of Uttarakhand by beneficiary and Bank
(TO BE FILLED IN BLOCK LETTER OR TYPED)

From:-
The Branch Manager,
....Branch
....Tehsil
....District
....State

Full Postal Address of the Branch
Vill/Town..
Road...
P.O............................Pin..........................
District...
State..

Ref. No.

Date: ....

To
The Directorate of Industries,
Department of MSME, Uttarakhand,
Patel Nagar, Dehradun.

(THROUGH THE FINANCING BANK's)
Sub.: Payment of "Gov. Subsidy" against the Bank Finance sanctioned under Chief Minister Self-Employment Programme of MSME Department, Uttarakhand

Sir,

I/We..son/daughter/wife of ....Secretary/Chairman/President/Managing Trustee/ Proprietor of ....hereby inform that a Industry project has been..(Name of the Financing Bank) Branch.....................................Tehsil.................................District.................................... State of..

Details of Project Cost	Amount (Rs.)	Means of Finance	Amount (Rs.)
A) Capital Expenditure:- (i) Workshed (ii) Machinery/Equipment		Own Contribution Term Loan for Fixed Capital	
B) Working Capital		Cash Credit for Working Capital	
TOTAL (Rs.)		**TOTAL (Rs.)**	

Note: 1. Cost of land should not be included in the Capital Expenditure under the project cost.
2. Total Cost of the project should not exceed Rs. 5.00 lakhs for manufacturing and Rs. 3.00 lakhs for Business/Service Sector.

Signature of the beneficiary....................................

2. I/We, therefore request you to please advise the Bank to disburse an amount of Rs................................ (Rupees....................................only) being the Govt. Subsidy sanctioned by the DIC. The details of my/our project is as under:

2.1	(a) Full name of the beneficiary/Society/Institution/Trust (b) Father's Name (In case of Individual) (c) Date of Birth of individual (d) Full address (with Pin Code) (e) Legal Status/Constitution (Partnership firm not eligible) (f) Registration No. and date, if any		
2.2	Location of the unit (Village, Taluka, District and State with Pin Code)		
2.3	Name of Village Industry Activity (Please specity)		
2.4	(a) General Category or (b) Whether the beneficiary belongs to SC/ST/Minority/OBC/ExServicemen/PHC/Women/HBA (Please Specity)		YES/NO
2.5	Employment envisaged	a) Full time	
2.6	Particulars of deposit of Own Contribution	a) Nature of Deposit	SB/CD
		b) Account No.	
		c) Date of deposit	
		d) Amount deposited	Rs................................
2.7	Bank's Sanction Letter No.	**(Copy of sanction order to be enclosed)**	....
		Date of Sanction	....
2.8	Date and amount of first disbursement (Certified copy of ledger extracts to be enclosed)		....
2.9	Whether the sanction is covered under Credit Gurantee Fund Scheme for Micro, Small Industries of CGTMSE		

3. I/We hereby agree to abide by the terms and conditions and instructions issued by the Department of MSME, Govt. of Uttarakhand in this behalf from time to time and those to be issued in future with regard to CMSEP. I/We also agree to furnish progress report on production, sales, employment, wages paid etc. to the Bank which in turn will send the information on basis to Directorate of MSME, Govt. of Uttarakhand for record and further information.

4. I/We hereby declare that the Govt. Subsidy has not been claimed either by me or by any other person of my family for the same or any other project in the past and "one family one subsidy" norm has been followed. Further, the Bank credit has not been/will not be utilize to adjust or square off any previous loan/advance taken by me/us in the past.

Signature of the beneficiary.....................................

5. Certified that the unit financed by..(Name of Financing Bank)...(Name of the Branch) in my/our favour under.....................................(Activity/Industry) is a new village industry unit and not an existing unit.
6. (*) It is also certified that the unit located at the address mentioned in the Govt. Subsidy is in my name only and I am the sole proprietor of this unit. It is also declared that, it is not a Partnership Firm/Private Company.
7. Certified that I/We have already undergone necessary EDP Training of.................. Days/Months during the year........................conducted by ....(Name & Address of the training institute).
8. Certified that I/we shall display following sing-board at the main entrance of my/our project site:-

....(unit name)
Financed by..(Bank)
under CMSEP Scheme of MSME Department, Govt. of Uttarakhand

9. I/We are ready to bear the amount of Gurantee fee and Annual Service fee in respect of Credit Guarantee Fund Scheme for Micro, Small Industries operated by CGTMSE, if the Bank in its discretion decides to recover the same.
10. I/We, hereby undertake to refund proportionate amount of Govt. subsidy calculated on working capital loan/cash credit facility, if the said WC Loan/CC facility is not adequately utilized as per stipulated norms of MSME Department. The average utilization of working capital during the first year of operation of the unit should not be less that 75% of the sanctioned limit and the limit should touch at least one peak level utilization of 100% within two years period before the Govt. Subsidy amount is adjusted with the loan amount.
11. It is hereby declared that all facts furnished above by me/us in the Govt. Subsidy claim are correct and if any information is found to be false or leads to misguiding the authorities with ulterior motive of availing Govt. Subsidy. I/We should be subjected to any punishment as deemed fit in the eyes of law.
12. The Advance Stamp Receipt of Govt. Subsidy amount is also attached

Place: **Yours faithfully,**
Date:

Signature of the Beneficiary
SEAL

COUNTERSIGNED   **BRANCH MANAGER**
(SEAL OF THE BANK BRANCH)

RECEIPT

Received Rs ....(Rupees ....only) from the Director of Industries, Department of MSME, Uttarakhand, Patel Nagar, Dehradun, towards the payment of "Govt. Subsidy" in respect of project for.. sanctioned for Rs. ....by.. Bank at...Branch

(Revenue Stamp)
(Signature of the Applicant)

Note: In case of a Co. operative Society/Institution, Seal has to be affixed.

(FOR THE USE OF THE BANK/BRANCH)

1. In consideration of the project of the above beneficiary/Institution, our Bank/Branch has sanctioned a loan of Rs. .... after proper appraisal of the project at this end. As again a loan of Rs .... (E.E. Rs .... W.C. Rs ....) the bank has released first installment/full lump sum amount of loan of Rs .... on .... The Bank shall arrange to deposit the amount of Govt. Subsidy in Term Deposit in the name of the beneficiary for 3 years from the date of release of first installment of the loan. It is confirmed that no interest will be paid on the amount of TDR by the Bank and no interest will be charged on the corresponding amount of the loan for a period of 3 years. The Bank is aware, that if the advance goes "bad" before 3 years, Govt. Subsidy will be adjusted to liquidate loan liability of the beneficiary with interest. Recovery, if any, effected lated will be remitted to the Commission.
2. Certified that the unit sanctioned by our Bank Branch in favour of Shri/Smt/Ms. .... is a new unit and not an existing unit. The instant Govt. Subsidy claim is in conformity for utilization/adjustment partly or wholly, of any dept deemed bad or doubtful of recovery or to adjust/liquidate any past loan/advance.
3. Certified copy of the Sanctioned order of the Bank and certified ledger extracts of the borrower's Terms loan A/c and Cash credit account is/are enclosed
4. Shri/Smt. ....Son/daughter/wife of .... has been undergone EDP training and a copy of the certificate is enclosed.
5. Certified that the unit sanctioned by our Bank Branch in favour of Shri/Smt./Ms... and Govt. Subsidy amount released to the unit will proportionately recovered and remitted to MSME Department if the unit does not adequately utilize the WC/CC facility as per MSME Department norms i.e the average utilization of WC during the first year of operation of the unit should not be less that 75% of the sanctioned limit and the limit should touch atleast one peak level utilization of 100% within 3 years period before the Govt. subsidy is adjusted with the loan amount.

Place: **(Signature)**
Date: **(Designation of the Bank Official)**
SEAL
Enclosures: As above. **(Signature Code/P.A. No. ....**

On Rs. 100/- Stamp Paper

ANNEXURE "E"

TO BE STAMPED AS AN AGREEMENT AS PER THE STATE STAMP ACT IN FORCE LETTER OF UNDERTAKING TO BE SIGNED BY THE BORROWER FINANCE UNDER CMSEP

To,
The Branch Manager,
....
....
....
....

LOAN SANCTIONED UNDER THE CHIEF MINISTER's SELF EMPLOYMENT PROGRAMME SCHEME FOR ....(ACTIVITY)

I/We have been sanctioned with a loan for Rs. .... (Rupees ....) on.. for which necessary documents have been executed by me/us. I/We shall become eligible for Margin Money Assistance of Rs ....(Rupees....................................) under the above scheme only after Directorate of Industries/DIC approves my/our eligibility for the Margin Money. Pending approval & admission of the claim by Directorate of Industries/DIC the Margin Money Subsidy amount may be retained in a Term deposit Account with the Bank in my/our name for three years with lien marked for the loan sanctioned. In case of non-admission/non approval of claim by Directorate of Industries/DIC the Bank shall be entitled to.

(a) Refund the subsidy in full to the Directorate of Industries/DIC.
(b) To convert the sanction into one or the other of its schemes at its sole discretion without any further reference to me in this regard.
(c) I further undertake to blind myself and abide by the decisions/actions taken by the Bank this regard as aforesaid.

Yours faithfully,

Signature of Borrower

Date: